# न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

## अपील सूचना अधिकार संख्या 80 / 2025(GCMS 2025/196)

श्रीमती अनुजा गुप्ता निवासी 94 शंकर कॉलोनी–1, मीरा चौक, एसएसबी रोड़, नजदीक शिव चौक, श्रीगंगानगर मोबाईल नम्बर : 94607–33665

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28.05.2025

**पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुजा गुप्ता** स्वयं उपस्थित नहीं हुई। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.12.2024 से तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

**मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** अपीलार्थी श्रीमती अनुजा गुप्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 17.12.2024 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी :

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के नाम से रजिस्टर्ड पत्र रसीद क्रमांक RR297367113IN दिनांक 12.11.2024 द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 09.11.2024 की आपके कार्यालय को प्राप्ति दिनांक व प्राप्त पत्र प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. उक्त शिकायत पत्र के संबंध मे आपके कार्यालय द्वारा किए गए समस्त प्रकार के विभागीय व अंत... स्तर के आंतरिक–बाहय पत्राचार व नोटशीट... प्रति।
3. उक्त शिकायत पत्र ... जांच कार्यवाही रि... प्रमाणित प्रति (जांच दल द्वारा जांच ... संबंध में जारी की गई ... प्रश्नावलियों, पत्रों व प्राप्त प्रत्युतरों की प्रमाणित प्रतियों सहित।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**लोक सूचना अधिकारी** एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 717 दिनांक 30.12.2024 से प्रभारी अधिकारी विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगगंगानगर को हस्तान्तरित किया गया है और प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक 25 दिनांक 04.01.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

| क्र. सं. | प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना | प्रार्थना में चाही गयी सूचना का प्रत्युत्तर |
|---|---|---|
| 1 | श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, श्रीगंगानगर के नाम से रजिस्टर्ड पत्र रसीद क्रमांक RR297367113IN दिनांक 12.11.2024 द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 09.11.2024 की आपके कार्यालय को प्राप्ति दिनांक व प्राप्त पत्र प्रमाणित प्रतिलिपि। | उक्त शिकायत पत्र की प्राप्ति दिनांक 14.11.2024 एवं प्राप्त पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न (कुल पृष्ठ-5) |
| 2 | उक्त शिकायत पत्र के संबंध में आपके कार्यालय द्वारा किए गए समस्त प्रकार के विभागीय व अंतर विभागीय स्तर के आंतरिक-बाहय पत्राचार व नोटशीट की प्रमाणित प्रतिलिपि। | मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर को प्रेषित पत्र एफ37(5)(1) (270)शिक्षा/ विकास /2024/2498,दिनांक25.11.2024 की प्रमाणित प्रति संलग्न (कुल पृष्ठ-1) |
| 3 | उक्त शिकायत पत्र के संबंध में की गई जांच कार्यवाही रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति (जांच दल द्वारा जांच के संबंध में जारी की गई समस्त प्रश्नावलियों, पत्रों व प्राप्त प्रत्युत्तरों की प्रमाणित प्रतियों सहित। | मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी श्रीगंगानगर को प्रेषित पत्र एफ37 (5) (1)शिक्षा/विकास /2023/ 714 दिनांक 21.02.2024 के प्रत्युत्तर में उचित सूचना/रिपोर्ट आदिनांक तक अपेक्षित है।<br>आपके आवेदन से संबंधित इस बिन्दु के क्रम में संबंधित सूचना मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर (प्रतिलिपि) के माध्यम से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(3) के तहत उक्त कार्यालय को हस्तातंरित किया जा रहा है। |

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:08 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने** अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है और बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना उपलब्ध करवाई जा चुकी है, जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के बिन्दु संख्या 03 की सूचना, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर के कार्यालय से सम्बन्धित होने के कारण प्रभारी अधिकारी विकास शाखा द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र उन्हें स्थानान्तरित किया जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता अधिकृत नहीं है। इस न्यायालय को उक्त अपील को प्रथम अपील अधिकारी के रूप में सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज की जाती है। प्रार्थी यदि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर के जवाब से असंतुष्ट हो तो मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, श्रीगंगानगर के प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र है।

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी** की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **प्रभारी अधिकारी, विकास शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 28.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:57:08 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर